भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3359
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

केवी में नई स्थानांतरण प्रमाणपत्र नीति

†3359. **श्री दिलेश्वर कामैत:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह देखा है कि केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली नई स्थानांतरण प्रमाणपत्र नीति मध्यावधि स्थानांतरण की स्थिति में बच्चों और उनके माता-पिता को व्यापक रूप से प्रभावित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) बच्चों के लिए ऐसी स्थानांतरण प्रमाणपत्र नीति के पीछे औचित्य का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नई नीति केन्द्र सरकार, रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों के उन कर्मचारियों की बड़ी संख्या को प्रभावित करती है जिनका बार-बार स्थानांतरण किया जाता है और जिन्हें अपने बच्चों को उनकी तैनाती के स्थान के निकट के विद्यालयों में स्थानांतरित करना पड़ता है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) में प्रवेश लेने वाले बच्चों को एक केवि से दूसरे केवि में तब स्थानांतरित किया जाता है, जब उनके अभिभावकों का स्थानांतरण हो जाता है। तथापि, यदि कक्षा में बच्चों की संख्या 50 से अधिक है तो केवि स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर उचित प्रक्रिया के तहत वांछित केवि अथवा निकटवर्ती केवि में बच्चे के प्रवेश पर विचार किया जाता है। केन्द्र सरकार, रक्षा और अर्धसैनिक बल के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनका बार-बार स्थानांतरण होता रहता है, के बच्चों को वांछित केवि या निकटवर्ती केवि में समायोजित किया जा रहा है।

*****